'(ख) क्या यह सच है कि स्थानीय किसानों ने यह कारखाना सहकारिता के आधार पर चलाने का निश्चय किया था ;

(ग) क्या गंगानगर में कारखाना स्थापित करने के लिये स्थानीय काश्तकारों से हिस्सा पूंजी भी जमा कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो यह पूंजी कितनी है और उसको किस रूप में प्रयुक्त किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में खाद्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) गंगानगर में सहकारिता के आधार पर चीनी का कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु एकआवेदन पत्र नवम्बर, १९६० में प्राप्त हुआ था । परन्तु चीनी उद्योग में लाइसेंसिंग क्षमता को रोकने के निर्णय के कारण इस आवेदन पत्र का विचार भी दूसरे लम्बमान आवेदनों के साथ अभी रोक दिया गया है ।

(ग) और (घ). लगभग ३.२१ लाख रुपये की हिस्सा पूंजी काश्तकार सदस्यों से, इस उद्देश्य के लिये जमा कर ली गई थी ।

गंगानगर क्षेत्र में कृषि फार्म

११३८. **श्री प० ला० बारुपाल :**
श्री कर्णीसिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार जिला गंगानगर में एक और कृषि फार्म बना रही है यदि हां, तो यह फार्म किस स्थान पर बनाया जायेगा और कितने एकड़ भूमि इस क्षेत्र में होगी ; और

(ख) वहां के स्थानीय किसानों की भूमि जो फार्म के अन्तर्गत जायेगी उस के मुआवजे में उनको कहां भूमि दी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां । सूरतगढ़ फार्म की तरह का एक दूसरा यान्त्रिक फार्म राजस्थान के गंगानगर जिले में जेटसार नामक स्थान पर स्थापित करने का विचार है । इस नये फार्म का क्षेत्र ३०,८५४ एकड़ है ।

(ख) मुआवजे की भूमियां अभी निश्चित नहीं की गई हैं । प्रभावित किसानों को पास ही राजस्थान नहर के क्षेत्र में भूमि अलाट करने का विचार है ।

दिल्ली में सहकारी फार्म

११३९. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने सहकारी फार्म चल रहे हैं ; और

(ख) किन-किन स्थानों पर ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) सात ।

(ख) इन समितियों के नाम व स्थान नीचे दिये गये हैं :—

(१) उमराव दुलम्बी सहकारी खेती समिति, अलीपुर ब्लाक ।

(२) पल्ला संयुक्त सहकारी समिति, गांव पल्ला, अलीपुर ब्लाक ।

(३) किराड़ी सुलेमान नगर सहकारी संयुक्त खेती समिति, गांव किराड़ी सुलेमान नगर (नांगलोई ब्लाक) ।

(४) मिंटगुमरी सहकारी संयुक्त खेती समिति, गांव पंजाब खोरे (नांगलोई ब्लाक) ।

(५) हस्तशाल सहकारी संयुक्त खेती समिति लि०, गांव हस्तशाल (नजफ़गढ़ ब्लाक) ।

(६) नई झंगोला सहकारी संयुक्त खेती समिति, गांव झंगोला (अलीपुर ब्लाक) ।

(७) जैतपुर सहकारी खेती समिति लि०, गांव जैतपुर (महरौली ब्लाक) ।

दिल्ली में नाली व्यवस्था

११४०. श्री **नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लिंक रोड में पानी की निकासी के लिये नालियां नहीं छोड़ी गई हैं जिसके कारण निकटवर्ती बस्तियों में बरसात में पानी भर जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निरीक्षण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० भुशीला नायर) : (क) और (ख). निगम क्षेत्र में दो लिंक रोड हैं, एक पंचकुइयां रोड से करोलबाग जाने वाली और दूसरी लोदी रोड को रिंग रोड से मिलाने वाली । इन दो लिंक रोडों पर नालियों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

Covering of Tiruvannamalai Railway Station Platform

1141. Shri Dharmalingam: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to put a covering top to the platform of Tiruvannamalai Railway Station;

(b) if so, when the work is likely to be taken;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether Government are aware of the absolute necessity of a covering top at the platform since it is an important pilgrim Centre?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes.

(b) and (c), It is not possible to indicate at present, as it will depend on availability of funds and steel.

(d) Covering over platform is a desirable amenity which is being provided on a programmed basis within the funds available.

रेल दुर्घटना के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

११४२. श्री **बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों में रेलवे में जो अधिक दुर्घटनायें हुई, उनकी सरकारी जांच के उपरान्त यह सिद्ध हुआ कि रेलवे अधिकारियों की लापरवाही से ही अधिकांश दुर्घटनायें हुई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उन रेलवे कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) रेल दुर्घटनाओं की जांच से पता चला है कि बहुत सी दुर्घटनायें कर्मचारियों की ग़लती से हुई ।

(ख) दोषी कर्मचारियों पर अनुशासन की समुचित कार्यवाही की जाती है । उन्हें नौकरी से हटाये जाने से लेकर निन्दित करने तक का दण्ड दिया जाता है । दण्ड निर्धारित करते समय अन्य प्रासंगिक बातों के साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और किस प्रकार की थी, दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार कर्मचारी की सेवा का रिकार्ड कैसा है और उसने कितने साल की नौकरी की है ।

Libraries in Hospitals in Kerala

1143. { Shri A. K. Gopalan: / Shri Umanath:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Kerala Grandhasala Sangam had at any time represented to the Central